माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / सं.अ.सं. / 2022 / 1197 दिनांक 30 / 08 / 2022

अधिसूचना 2022

विश्वविद्यालय से संबद्व अध्ययन संस्थाओं को सीट वृद्धि, अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रदाय करने के लिए अधिसूचना–सत्र जुलाई 2022

(केवल मध्यप्रदेश की संबद्ध कम्प्यूटर / आई.टी. एवं मीडिया अध्ययन संस्थाओं के लिये)
(ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने की तिथि 1 सितम्बर 2022 से 6 सितम्बर 2022)

I. **कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि** :– जुलाई 2022 सत्र में केवल मध्यप्रदेश में स्थित कम्प्यूटर / आई.टी. की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं से कम्प्यूटर / आई.टी. पाठ्यक्रमों के लिये सीट वृद्धि के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **रेग्यूलेशन क्रमांक 18 / 2008 के अनुसार मीडिया पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि का प्रावधान नही है।**

विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर सीट वृद्धि के लिये ऑनलाईन आवेदन स्वीकृत करने की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है :–

- सभी पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि प्रथम आवंटित सीट (स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 50 एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये 30 सीट) का 50 प्रतिशत याने क्रमशः 25 सीट अथवा 15 सीट अर्थात स्नातक और डिप्लोमा के लिए 25 सीट एवं स्नातकोत्तर के लिए 15 सीट से कम सीट वृद्धि नहीं की जावेगी। सीट वृद्धि इसी गुणानुपात में की जायेगी।

सीट वृद्धि के लिए री–प्रोसेसिंग, कम्प्यूटर शुल्क एवं अतिरिक्त सुरक्षा निधि

स. क.	पाठ्यक्रम का नाम	री–प्रोसेसिंग फीस	कम्प्यूटर फीस	प्रथम आवंटित सीट में 50% की वृद्धि होने पर देय सुरक्षानिधि	प्रथम आवंटित सीट में 100% की वृद्धि होने पर देय सुरक्षानिधि
1	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)	10000 / –	रेग्युलेशन क्रमांक 18 / 2008 की कण्डिका 11.5 के अनुच्छेद (iv) के अनुसार 50 प्रतिशत वृद्धि पर 5 कम्प्यूटर का शुल्क 5 X 500= रूपये 2500/- एवं 100 प्रतिशत वृद्धि पर इसी हिसाब से 10 X 500 = रूपये 5000/- देय होगा।	100000 / – (15 सीट बढने पर)	200000 / – (30 सीट बढने पर)
2	स्नातक पाठ्यक्रम के लिए (प्रति पाठ्यक्रम)	7500 / –		50000 / – (25 सीट बढने पर)	100000 / – (50 सीट बढने पर)
3	पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम एवं डी.सी.ए. पाठ्यक्रम	5000 / –		12500 / – (25 सीट बढने पर)	25000 / – (50 सीट बढने पर)

बी / 38, प्रेस कॉम्लेक्स, विकास भवन, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल–462011 , फोन : (0755) 4058194, 4291628, फैक्स : 2561970
B-38, Press Complex, Vikas Bhawan, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal-462011, Phone-(0755) 4058194, 4291628, Fax : 2561970 website – www.mcu.ac.in

नोटः अतिरिक्त सीट वृद्वि हेतु आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना (कार्पेट एरिया, संकाय सदस्य, किताबें, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य) की गणना रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 की कंडिका 11.5 के बिन्दु क (i) से (xv) तक दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

II. **कम्प्यूटर एवं मीडिया संस्थाओं के लिये अतिरिक्त पाठ्यक्रम** :– जुलाई 2022 सत्र से मध्यप्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय की सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ निम्नानुसार– कम्प्यूटर/आई.टी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, कम्प्यूटर के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए एवं मीडिया पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, मीडिया के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिये आवेदन कर सकती हैः–

(A) **कम्प्यूटर/आई.टी. पाठ्यक्रम** :– 1. डी.सी.ए. 2. पी.जी.डी.सी.ए. 3. बी.सी.ए. 4. बीकाम (कम्प्यूटर) 5. एम.एस.सी. (सी.एस.)

नोटः– अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना (कार्पेट एरिया, संकाय सदस्य, किताबें, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य) की गणना रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

अतिरिक्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम लेने हेतु कम्प्यूटर संस्थाओं से निम्नानुसार शुल्क देय होगाः–

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रासेसिंग शुल्क	पंजीयन शुल्क	सुरक्षा निधि शुल्क
1.	एम.एस.सी. सी. एस..	20000/–	10000/–	स्नातकेत्तर हेतु कुल राशि 2,00,000/– रूपये है। जिसमें रूपये 50,000/– आवेदन के साथ तथा शेष राशि तीन क्रमशः 50000/–, 50000/– 50000/– किश्तों में निर्धारित समय सीमा में देय होगी)
2.	केवल बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु	10000/–	22500/–	स्नातक हेतु कुल सुरक्षा निधि 1,00,000/– रूपये। जिसमें प्रथम किश्त 50,000/– रूपये आवेदन के साथ तथा शेष राशि दो किश्तों में क्रमशः 25000/– 25000/– रूपये निर्धारित समय सीमा में देय होगी)
3.	बी.काम.कम्प्यूटर (जब बी.सी.ए. पूर्व से हो)	10000/–	7500/–	निरंक
4.	पी.जी.डी.सी.ए.	10000/–	6000/–	निरंक
5.	डी.सी.ए.	10000/–	5000/–	निरंक
6.	पी.जी.डी.सी.ए. (जब बी.सी.ए. पूर्व से हो)	10000/–	6000/–	25000/–
7.	डी.सी.ए. (जब बी. सी.ए. पूर्व से हो)	10000/–	5000/–	25000/–

8.	डी.सी.ए. एवं पी.जी.डी.सी.ए. (जब बी.सी.ए. पूर्व से हो)	20000/–	6000/–	25000/–

(B) **मीडिया पाठ्यक्रम** :– 1. एम.ए.(जे), 2. एम.ए.(ए.वी.सी.), 3. एम.ए.(ए.पी.आर.), 4. एम.ए.(एम.सी.), 5. एम.ए.(एमएमसी), 6. एम.ए. (बी.जे.) 7. बी.ए.(एम.सी.), 8.बी.एस.सी.(ई.एम.), 9. बी.बी.ए.(एम.सी.), 10. बी.बी.ए.(एपीआर)।

नोटः– अतिरिक्त पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक अतिरिक्त अधोसंरचना (कार्पेट एरिया, संकाय सदस्य, किताबें, कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य–अधोसंरचना/संसाधन) की गणना रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

मीडिया संस्थाओं के लिये अतिरिक्त मीडिया पाठ्यक्रम लेने हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगाः–

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रोसेसिंग शुल्क	पंजीयन शुल्क	सुरक्षा निधि शुल्क
1	प्रथम स्नातकोत्तर(मीडिया) पाठ्यक्रमों के लिये	20,000/– प्रति पाठ्यक्रम	25,000/– प्रति पाठ्यक्रम	प्रथम स्नातकोत्तर हेतु 2,00,000/– रूपये 1,00,000/– आवेदन के साथ तथा शेष राशि प्रथम सेमिस्टर के पूर्व देय होगी)
2	अतिरिक्त स्नातकोत्तर(मीडिया) पाठ्यक्रमों के लिये	20,000/– प्रति पाठ्यक्रम	25,000/– प्रति पाठ्यक्रम	प्रत्येक अतिरिक्त स्नातकोत्तर हेतु 50,000/–
3	प्रथम स्नातक (मीडिया) पाठ्यक्रमों के लिये	10,000/– प्रति पाठ्यक्रम	25,000/– प्रति पाठ्यक्रम	प्रथम स्नातक हेतु 50,000/– रूपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त स्नातक हेतु 20,000/– रूपये (सम्पूर्ण राशि आवेदन के साथ देय होगा)
4	अतिरिक्त स्नातक (मीडिया) पाठ्यक्रमों के लिये	10,000/– प्रति पाठ्यक्रम	25,000/– प्रति पाठ्यक्रम	प्रत्येक अतिरिक्त स्नातक हेतु 20,000/– रूपये (सम्पूर्ण राशि आवेदन के साथ देय होगा)

बी.बी.ए.(एम.सी.) एव बी.बी.ए. (ए.पी.आर.) पाठ्यक्रम (म.प्र. की मीडिया एवं कम्प्यूटर संस्थाओं के लिये)

बी.बी.ए. (एम.सी.) एव बी.बी.ए. (ए.पी.आर.) पाठ्यक्रम हेतु नियम एवं दिशा निर्देश निम्नानुसार है–

- बी.बी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षो का है, जिसके लिये 30 स्थान प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित है।
- इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विद्यार्थी की न्यूनतम अर्हता किसी भी संकाय में 10+2 उत्तीर्ण होगी।
- रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 में निर्धारित कार्पेट एरिया के अतिरिक्त प्रत्येक बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 1200 वर्ग फीट एरिया की आवश्यकता होगी। जिसमें 400–400 वर्ग फीट की 3 कक्षाएँ रहेंगी।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

- रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के संशोधित अधिसूचना क्र. Regn/5227 दिनांक 24/11/2008 के बिन्दु क्र. 10.3(i) में निर्धारित कम्प्यूटरों के अतिरिक्त 5 और कम्प्यूटरों की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 में निर्धारित किताबों की संख्या के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षो में क्रमशः 100, 200, 300 संबंधित विषय की किताबें पुस्तकालय हेतू अनिवार्य होंगी।
- लेब उपकरणों में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के संशोधित अधिसूचना क्र. Regn/5227 दिनांक 24/11/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 (i, ii, iii) के अलावा (iv) में उल्लेखित Professional Video Camera Tripods, Arid/Final cut pro/ Matrix non linear editing work station भी अनिवार्य होगा। (iii) में उल्लेखित Colour TV DTH के साथ अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 में निर्धारित फैकल्टी संख्या पूर्ववत लागू रहेगी। **फैकल्टी की योग्यता तथा वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगाः–**

प्रथम वर्ष	एक फैकल्टी प्रबंधन में स्नातकोत्तर	एक फैकल्टी जनसंचार/ जनसंपर्क/ विज्ञापन में स्नातकोत्तर	कुल फैकल्टी संख्या 2
द्वितीय वर्ष	एक फैकल्टी प्रबंधन में स्नातकोत्तर	दो फैकल्टी जनसंचार/ जनसंपर्क/ विज्ञापन में स्नातकोत्तर	कुल फैकल्टी संख्या 3
तृतीय वर्ष	दो फैकल्टी प्रबंधन में स्नातकोत्तर	दो फैकल्टी जनसंचार/ जनसंपर्क/ विज्ञापन में स्नातकोत्तर	कुल फैकल्टी संख्या 4

अतिरिक्त पाठ्यक्रम बी.बी.ए. (एम.सी.) एवं बी.बी.ए. (ए.पी.आर.) हेतु निम्नानुसार शुल्क देय होगाः–

प्रोसेसिंग शुल्क	पंजीयन शुल्क	सुरक्षा निधि शुल्क
10,000/– प्रति पाठ्यक्रम	25,000/– प्रति पाठ्यक्रम	50,000/– प्रथम किश्त (एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिये 20,000/– प्रति पाठ्यक्रम अतिरिक्त शुल्क देय होगा) **यदि संस्था में मीडिया स्नातक पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित है तो उसे सुरक्षा निधि राशि रूपये 20000/– प्रति पाठ्यक्रम देय होंगी।**

III. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश :–

1. आवेदनों के लिये एकजाई आवेदन शुल्क रूपये 1000/– निर्धारित है। सीट वृद्धि के साथ अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिये एक साथ आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रूपये 1000/– ही देय होगा। लेकिन नया आवेदन करने पर हर बार आवेदन शुल्क रूपये 1000/– देय होगा।
2. आवेदक संस्था को आवेदन शुल्क, प्रोसेसिंग एवं रि–प्रोसेसिंग शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, पंजीयन शुल्क की राशि एवं सुरक्षा निधि या अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि ऑनलाईन जमा करना होगी।
3. जो संस्थाएँ इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि में – **नो एडमिशन कैटेगरी** में होंगी, अथवा जिन पर शिक्षण शुल्क अंशदान, सुरक्षा निधि या नवीनीकरण शुल्क मदों में कोई राशि बकाया हो तो ऐसी संस्थाओं के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा केवल वे ही फार्म स्वीकार किये जायेंगे जिनके निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान किया गया हो एवं जिसमें **Transaction ID** क्रमांक आवेदन फार्म में उल्लेखित हो। **पोर्टल शुल्क** रूपये 200/– निर्धारित किया गया है जो कि आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

बी/38, प्रेस कॉम्लेक्स, विकास भवन, जोन 1, एम.पी. नगर, भोपाल 462011, फोन : (0755) 4058194, 4291628, फैक्स : 2561970
B-38, Press Complex, Vikas Bhawan, Zone-I, M.P. Nagar, Bhopal-462011, Phone-(0755) 4058194, 4291628, Fax : 2561970 website – www.mcu.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

5. सुरक्षा निधि मद की राशि के अतिरिक्त समस्त देय राशियों पर शासन के निर्देशानुसार 18% GST भी साथ में देय होगा। जिसकी गणना एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर देय राशि के सामने दी गई है।
6. सभी आवेदनों हेतु विश्वविद्यालय संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 के नियम लागू होंगे। रेग्युलेशन क्रमांक 18/2008 विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध है।
7. विश्वविद्यालय की अधिसूचना जारी होने के बाद स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं तो परिवर्तन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं आवश्यक दस्तावेज ASSOCIATION OF STUDY INSTITUTTES REGULATION -18, 2008 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के पते पर आवेदन करें।
8. केवल आवेदन करने से ही संस्था को उक्त विषय में स्वीकृति पाने का अधिकार नही होगा तथा सभी प्रकरणों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
9. जब तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर संबधित संस्थाओं को आदेश जारी नही किया जाता है तब तक किसी प्रकार का विज्ञापन अथवा प्रचार किये जाने की शिकायत मिलने पर उक्त संस्था के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
10. आवेदन ऑनलाईन जमा करने हेतु एम.पी.ऑनलाईन का पोर्टल **दिनांक 1 सितम्बर 2022 से दिनांक 6 सितम्बर 2022** को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा। इस तिथि के बाद किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे।
11. सीट वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम का आवेदन विश्वविद्यालय अमान्य किये जाने पर संस्था पुनर्निरीक्षण हेतु निरस्तीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. भरे गये आवेदन/आवेदनों के शुल्क भुगतान पश्चात प्रिंटआउट निकाले तथा उन्हें संचालक/सचिव के हस्ताक्षर एवं सील लगाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ **दिनांक 12 सितम्बर 2022** तक निम्न पते पर भेजें:– **निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी–38, विकास भवन, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी.नगर, झोन–1, भोपाल–462011। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।**

(डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव

क्रमांक/सं.अ.सं./2022/1198

दिनांक 30/08/2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, कुलपति, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, वेबसाईट की ओर वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(डॉ. अविनाश वाजपेयी)
कुलसचिव